(भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

सं.एफ. 9-4/97-यू.3

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

यू.3(ए) अनुभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-01

दिनांक: 4 जनवरी, 2019

अधिसूचना

जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर, किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. **और जबकि**, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर अपनी दिनांक 10.09.1999 की अधिसूचना सं. 9-4/97-यू.3 के जरिए आयुध प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तत्काल प्रभाव से समविश्वविद्यालय घोषित किया था।

3. **और जबकि,** रजिस्ट्रार, आयुध प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे ने दिनांक 23.07.2018 को "आयुध प्रौद्योगिकी संस्थान" का नाम बदलकर "उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान" करने का अनुरोध किया था।

4. **और जबकि,** इस मंत्रालय द्वारा यूजीसी के परामर्श से मामले पर विचार किया गया है , यूजीसी ने सत्यापन के बाद निम्न सूचना दी है

i. सोसाइटी का नाम बदल दिया गया है जोकि उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान सोसाइटी है।

ii. समविश्वविद्यालय की सारी परिसंपत्तियों को कानूनी रूप से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), भारत सरकार के नाम कर दिया गया है। डीआरडीओ ने संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर

किया है कि गिरिनगर, पुणे परिसर की चल और अचल परिसंपत्तियों का उपयोग समविश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

5. **अब, इसलिए,** यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, यूजीसी के परामर्श से एतद्द्वारा यह अधिसूचना जारी करके इसका नाम 'आयुध प्रौद्योगिकी संस्थान' को प्रतिस्थापित करके उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान करती है। उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान, पुणे महाराष्ट्र नाम के बाद विश्वविद्यालय प्रत्यय नहीं जोड़ा जाएगा किंतु वह अपने नाम के बाद प्रत्यय के रूप में कोष्ठक में समविश्वविद्यालय लिख सकता है।

6. इस मंत्रालय की समय-समय पर जारी पूर्व की अधिसूचनाओं में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों और यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों के मानकों/विनियमों का अनुपालन उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान, पुणे महाराष्ट्र द्वारा किया जाएगा।

ईशिता राय

(ईशिता राय)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
टेलिफोन: 011-23381721

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
फरीदाबाद (हरियाणा)

प्रतिलिपि अग्रेषित:

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे यूजीसी की वेबसाइट और अपने रिकार्ड में संस्थान का नाम बदलें।
2. कुलपति "उन्नत प्रौद्योगिकी रक्षा संस्थान", (समवत विश्वविद्यालय), गिरिनगर, पुणे, महाराष्ट्र
3. सचिव, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन विभाग, रक्षा मंत्रालय, सेना भवन, नई दिल्ली

4. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
5. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र सरकार, तकनीकी एवं उच्चतर शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मुम्बई-400032
6. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
7. महा-सचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002.
8. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अनुरोध है कि सीएमआईएस एकक इसे विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर प्रदर्शित करें।
9. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल।

सुब्रत प्रधान

(सुब्रत कुमार प्रधान)
उप सचिव, भारत सरकार